VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2063)

Name of Candidate	Arun Rambha		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1206849
Center	JMI, New Delhi	Date	29-10-22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें **बीस** प्रश्न हैं **हिन्दी** और **अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
Explain the importance of a Constitution in the context of a democratic country like India. (Answer in 200 words) 12.5

उत्तर ⇒ संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले नियमो एवं कानूनो का संहिताबद्ध समुच्चय होता है यह लिखित / अलिखित हो सकता है।

लोकतांत्रिक देशो में संविधान की प्रासंगिकता अधिक बढ़ जाती है क्योकि इस व्यवस्था में सम्पूर्ण शक्ति का स्त्रोत जनता ही होती है। उदाहरण- भारत का संविधान

लोकतांत्रिक देश (भारत) के संदर्भ में संविधान का महत्व

(क) शक्ति का विकेन्द्रीयकरण → भारतीय संविधान में शक्ति किसी एक व्यक्ति को प्रदान न करके इसे विकेन्द्रित किया गया है।

जैसे:- दोहरी कार्यप्रणाली का सिद्धान्त

- संवैधानिक प्रमुख → राष्ट्रपति
- सरकार का प्रमुख → प्रधानमंत्री व मंत्रीपरिषद्

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(स) संघात्मक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

↓

केंद्र-राज्य संबंधो (भाग-11) को विशेषत: निर्धारित किया गया है → सहकारी संघवाद ↑

(ग) कानून का शासन → देश में कानून का शासन स्थापित हो। तथाकथित जंगलराज जैसी व्यवस्थाओ से परे 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' एवं 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (अनुच्छेद 22) से न्याय व्यवस्था स्थापित हो।

(घ) समानता का सिद्धान्त → अनु. 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियो का समान संरक्षण पर बल देता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशो में संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समता का सुत्राधार होता है

(ङ) शक्ति का पृथक्करण (SoP)

↓

सरकार के तीनो अंगो को स्वतंत्रता प्रदान कर

↓

जनता का लाभ हो।

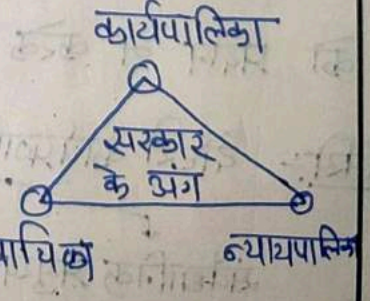

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(घ) अन्य विषयों में महत्व

- अधिकार क्षेत्र का अनुमान होता है
- मौलिक अधिकार
  - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनु. 21)
    - संरक्षण
      - गिरफ्तारी से
      - बिना अपराध के दण्ड नहीं
      - स्वयं के विरुद्ध गवाही से
- राज्य के लिए नीति-निर्देशक तत्व

निष्कर्षतः संविधान लोकतांत्रिक देशों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, गरिमामय जीवन, अवसर की समानता प्रदान कर नैतिक शासन तथा लोककल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में गतिशील रहता है।

Visit us : www.visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. "साथ आकर संघ बनाने" (कमिंग टुगेदर फेडरेशन) और "सबको साथ लाकर संघ बनाने" (होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन) के बीच के अंतरों को उदाहरण सहित वर्णित कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Bring out the differences between 'coming together federations' and 'holding together federations' with examples. (Answer in 200 words) 12.5

संघीय शासन प्रणाली 'कमिंग टुगेदर फेडरेशन' तथा 'होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन' प्रणाली द्वारा स्थापित होती है। जैसे यह दोनों प्रणाली क्रमशः अमेरिका तथा भारत की है।

साथ आकर संघ बनाना (CTF) तथा सबको साथ लाकर संघ बनाना (HTF) के मध्य अंतर निम्नवत है-

CTF (अमेरिका)	HTF (भारत)
(i) सभी राज्य एक साथ आकर संघ बनाने का निर्णय लेते है जैसे - अमेरिका के 13 दक्षिणी राज्यों ने मिलकर अमेरिका संघ की नींव रखी।	(i) संघ विभिन्न राज्यों की सहमति से तथा परिस्थिति अनुरूप अपने में समाहित कर लेता है। जैसे- भारत सभी राज्यों को साथ लाकर एक संघ बना।
(ii) संघीय संरचना केन्द्र राज्य दोनों शक्तिशाली	(ii) अर्द्धसंघीय व्यवस्था राज्य संघ संघ शक्तिशाली

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

CTF	HTF
(3) अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ	(3) नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ (अनुच्छेद-3)
(4) राज्यों को संघ के बराबर अधिकार ↓ संघीय व्यवस्थापिका में समान प्रतिनिधित्व जैसे- राज्यसभा (सीनेट) में प्रत्येक राज्य से 2 लोगों का निर्वाचन (USA)	(4) राज्यों से राज्यसभा में सीटों का वितरण असमान भी किया जा सकता है। जैसे: भारत में उच्चसदन में प्रत्याशी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आते हैं।
(5) राज्य के पास अधिक विधायी, प्रशासनिक, कार्यपालक तथा वित्त संबंधी शक्तियाँ	(5) राज्य के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं परन्तु झुकाव केन्द्र की तरफ है। संघ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है।
(6) संविधान संशोधन में राज्यों की अनिवार्यत: विशिष्ट भूमिका होती है।	(6) साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत के अधिकांश संशोधन संघ सरकार ही करती है। (अनु. 368)

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था जिसमें साथ आकर संघ बनाना की स्थिति होती है। वही भारतीय संविधान भारत को 'राज्यो का एक संघ' (अनु. 1) बताता है अर्थात सबको साथ लाकर संघ बनाने का प्रावधान निहित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. लोक सभा की शक्तियों की राज्य सभा की शक्तियों के साथ तुलना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Compare the powers of the Lok Sabha with that of the Rajya Sabha. (Answer in 200 words) 12.5

भारतीय संविधान अनु. 79 संसद संबंधी प्रावधानों का जिक्र करता है। संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई है। सामान्यतः लोकसभा, राज्यसभा की तुलना में शक्तिशाली संगठन माना जाता है।

संसद → लोकसभा (अनु. 81)
संसद → राज्यसभा (अनु. 80)
संसद → राष्ट्रपति (अनु. 53)

लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की तुलना

विषय	लोकसभा	राज्यसभा
धन विधेयक (अनु. 110)	लोकसभा > अधिक शक्तिशाली ↓ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होता है। ↓ राज्यसभा 14 दिन में न लौटाए तो स्वतः पारित	राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में एक कमजोर संस्था है ↓ यह इसमें संशोधन कर सकती है, परन्तु यह बाध्यकारी प्रवृत्ति के नहीं है।
संविधान संशोधन (अनु. 368)	लोकसभा संशोधन कर सकती है। समान शक्ति	राज्यसभा संशोधन कर सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विषय	लोकसभा	राज्यसभा
संयुक्त बैठक (अनु. 108)	लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। ↓ लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते है। ↓ संख्या बल पर बिल पास करवा लेते है।	तुलनात्मक रूप से कमजोर संस्था ↓ संख्या बल की कमी
अविश्वास प्रस्ताव	लोकसभा में ही पेश किया जाता है।	राज्यसभा पर इसका प्रभाव शून्य/नगण्य है।
राज्यसूची के विषय पर कानून	अनु. 250, 251 के तहत राज्यसभा के लाघ बना सकती है।	अनु. 249 के तहत विशेष शक्ति ↓ राज्यसूची पर कानून बना सकती है।
अखिल भारतीय सेवाएँ (AIS)	अपर्याप्त शक्तियाँ	अनु. 312 के तहत (AIS) का निर्माण कर सकती है। हालिया में - भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS) का गठन किया
भंग होना	लोकसभा भंग हो सकती है।	स्थायी संस्था, भंग नही होती
प्रतिनिधित्व	जनता द्वारा चुने लोगो का प्रतिनिधित्व करती है ↓ प्रत्यक्ष चुनाव	मनोनयित तथा चुने हुए लोगो का प्रतिनिधित्व ↓ अप्रत्यक्ष का चुनाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जहाँ राज्यसभा एवं लोकसभा को समान शक्ति है

(अ) बजट पर चर्चा एवं मतदान।

(ब) आपातकाल के समय, आपातकाल लागू करना।

(स) मंत्रीपरिषद् का निर्माण < लोकसभा / राज्यसभा — दोनो से सदस्य आ सकते है।

जैसे- इन्दिरा गांधी जी एवं मनमोहन जी प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य रहते हुए बने।

(द) साधारण विधेयक को पास करना।

स्पष्टतः संविधान अपनी प्रकृति में जनता के सदन लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है परन्तु राज्यसभा भी मात्र केवल एक उपयोगविहीन स्टेपनी टायर नहीं है उसका भी एक विशेष महत्व है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं? साथ ही, इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

What do you understand by judicial activism and overreach? Also discuss the associated concerns. (Answer in 200 words) 12.5

अद्यतन लोककल्याणकारी राज्य की क्षेत्रविविधता बढ़ते हुए न्यायतंत्र भी सक्रिय होकर जनकल्याण का कार्य करते हैं। जैसे- सामाजिक याचिका (PIL) द्वारा सीधे जनता के मुद्दे सुनना।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण इन्ही व्यवस्थाओं से उपजे शब्द है

न्यायिक सक्रियता → जब विधायिका शैथिल्य अवस्था में हो तथा त्वरित रूप से कार्य नही कर रही है तब न्यायपालिका स्वयंसज्ञान लेकर विभिन्न मुद्दो का निपटारा स्वयं करने लगता है तथा नीति-निर्माण का कार्य भी करने लगता है।

जैसे:- • दिल्ली सरकार को फटाखे (क्रेकर्स) बंद करने के लिए आदेश देना।
• समलैंगिकता संबंधी निर्णय प्रदान करना। नालसा केस 2014 एवं 2018 का केस
• सबरीमाला संबंधी निर्णय इत्यादि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायिक अतिक्रमण → मान्टेस्क्यू का ~~सिद्धांत~~ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत (SoP) का जब हनन होने लगे अर्थात् विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य स्वयं न्यायपालिका करने लगे तब उसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है।

न्यायिक सक्रियता → न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित प्रमुख चिंताएं

(1) शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन → केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा लक्ष्मण रेखा संबंधी विवादों का जिक्र मिल जाता है। न्यायिक अतिक्रमण से संविधान की मूल व्यवस्था न्यायिक तंत्र का कार्यपालिका से अलग होना (अनु. 50) का उल्लंघन है।

(2) कार्यों में विखराव → यदि न्यायतंत्र कार्यपालिका का कार्य करने लगे तो व्यवस्था में विखराव होने की संभावना हो सकती है।

(3) जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं
↳ इस प्रकार की व्यवस्था जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करती है जो हमारी प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' से मेल नहीं खाती।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) असंतुलनवाद → कार्यो मे हस्तक्षेप तथा कार्यो का हनन असंतुलनता को बढ़ाती है जिससे राष्ट्र में बड़े राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(5) लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं → चुकि न्यायाधिश जनता द्वारा चुनकर नही आते अत: उन्हें नीति निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए।

भारतीय संविधान की प्रकृति शक्ति पृथक्करण के सिद्दांत को नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्दान्त को अपनाती है। अत: न्यायपालिका को न्यायिक अतिक्रमण से बचकर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियो एवं अधिकारो के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

What do you understand by rule of law? Explain how this idea is reflected in the Constitution of India. (Answer in 200 words) 12.5

विधि का शासन से आशय सभी कार्यों का क्रियान्वयन कानून के अनुरूप अथवा कानूनी नैतिकता के अनुरूप किया जाएगा। कानून ही सर्वोच्च होगा, कानून से उपर कोई नहीं।

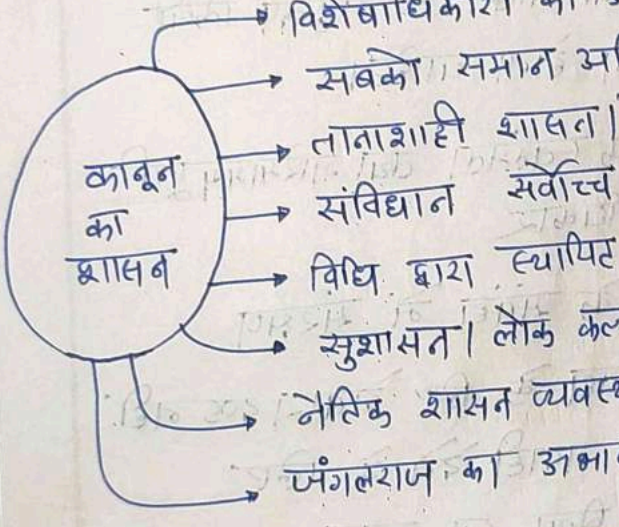

भारतीय संविधान में कानून का शासन

(1) अनुच्छेद 14 → विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण

↓

सभी नागरिकों को विधि। कानून के समान समानता प्रदान की गई है तथा कानून संबंधी उपचारात्मक प्रबंधन भी सबके लिए समान है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) अनु. 21 → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया (मेनका गांधी वाद द्वारा 1978)
- किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के सजा नहीं।
- न केवल कानून के शब्द/भाषा अनुरूप, बल्कि कानून की आत्मा के अनुरूप किसी विधी का निर्माण होना चाहिए।

(3) अनु. 21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार

(4) अनु. 20 →
- दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- एक ही अपराध के लिए दोबारा दण्ड नहीं
- अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- भूतलक्षी दाण्डिक विधान से रक्षा।

(5) अनु. 22 →
- गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण
- गिरफ्तारी का कारण जानना।
- 24 घण्टे के अंदर मजिस्ट्रेड के समक्ष प्रस्तुत करना।

(6) अनु. 44 → एकसमान सिविल संहिता (UCC)

(7) न्यायिक समीक्षा एवं पुनरावलोकन (अनु. 13)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कानून का शासन संवैधानिक नैतिकता को जीवंत बनाए रखता है तथा भारतीय नागरिकों को सशक्ति प्रदान करता है। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन-से प्रावधान हैं, जो शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करते हैं? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Explain the concept of separation of powers. What are the provisions in the Indian Constitution, which reflect separation of powers? (Answer in 200 words) 12.5

.... फ्रांसिसी दार्शनिक मान्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक 'द पॉवर आफ सेप्रेशन' में शक्ति पृथक्करण सिद्दांत का प्रतिपादन किया है। जिसमें निहित है कि सरकार के सभी तीनो अंग कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका शक्तियों का पृथक - पृथक प्रयोग करेंगी।

The sepration of power

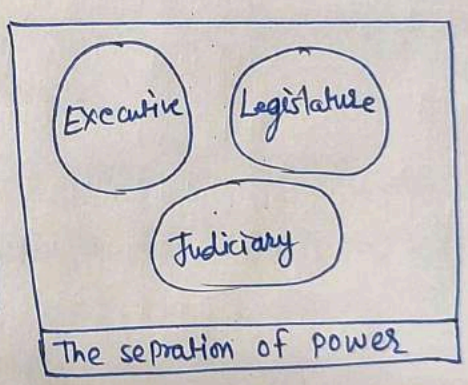

भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण संबधी प्रावधान

- अनु. 50 → कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना
  ↓
  राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल
  ↓
  दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करे।
- अनु. 121 → संसद में न्यायपालिका संबधी वाद-विवादो का वर्णन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की उन्हे पद से हटाने संबधी प्रावधान न हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) अनु. 122 → संसद की कार्यवाही / चर्चा को न्यायपालिका में प्रश्न चिन्हित नहीं किया जाएगा।

4) अनु. 121 → राज्य विधानमण्डल में न्यायालय संबंधी चर्चा नहीं।

5) अनु. 212 → उच्च न्यायालय में राज्य विधानमण्डल संबंधी चर्चा नहीं।

6) अनु. 361 → कार्यपालक प्रमुख राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जब पद स्थापित है तब उन्हें न्यायालय दण्ड नहीं सुना सकता।

7) अनु. 105 → सांसदो को प्राप्त विशेषाधिकार
↓
जब संसद का सत्र चल रहा हो तब उन्हें न्यायपालिका अपने समक्ष जबरजस्ती नही बुला सकती।

8) 99 वा संविधान संशोधन रद्द।

: ध्यातव्य हो कि भारतीय राजव्यवस्था अमेरिका की तरह निरपेक्षत: शक्ति पृथक्करण को नहीं स्वीकारती वरन् नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है।

शक्ति संतुलन संबंधी प्रावधान
- → कार्यपालिका, विधायिका का ही अंग
- → कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी (अनु. 75)
- → न्यायाधिशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- → उच्च न्यायालय के न्यायाधिशो की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल की सहमति
- → न्यायिक सक्रियता

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल शक्ति 'चेक एण्ड बेलेंस' सिद्धांत को अपनाता है। यह तीनों अंगों की कार्यकुशलता की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यक है।

7. भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
Discuss the veto powers of the President of India. (Answer in 200 words) 12.5

भारतीय संविधान अनु 111
राष्ट्रपति द्वारा विधेयको पर सहमति संबंधी प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को कुछ वीटो शक्तियाँ भी प्रदान की गई है।

वीटो पॉवर
विशेष प्रकार की शक्ति → हाँ या ना मे होती है

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ
- (i) परमानिषेधाधिकार
- (ii) आत्यांतिक शक्ति (Absolute power)
- (iii) जेबी अधिकार (pocket veto)

(1) परमानिषेधाधिकार → राष्ट्रपति किसी विधेयक पर
(A) सहमति दे सकता है।
(B) सहमति रोक देते है।

स्थिति-A → सहमति दे देते है अर्थात्

बिल → प्रथम सदन (लोकसभा या राज्यसभा) → द्वितीय सदन → राष्ट्रपति → स्थिति A
साधारण बिल
बिल पारित हो गया तथा अब यह अधिनियम बन सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थिति-B → सहमति रोक देते है → किसी बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति को रोक देते है तथा रोकने के कारण को स्पष्ट कर देते है।

↓

बिल पुनः सदन में चला जाता है।

② आत्यांतिक वीटो शक्ति → किसी ~~विधेयक~~ बिल पर अपनी सहमति रोक देते है तथा कारण स्पष्ट नहीं करते है।

↓

बिल, इस स्थिति में भी अधिनियम नहीं बन पाता।

③ जेबी निषेधाधिकार → यह सबसे रोमांचक वीटो शक्ति का एक प्रकार है जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है... उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते।

उदाहरण: राजीव गांधी सरकार के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, डाकपत्र संबंधी बिल पर इस वीटो का प्रयोग किया था।

अनुच्छेद 111 से परे संघीय व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रेषित किए गए बिल पर भी

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अपने वीटो पॉवर का इस्तेमाल कर सकता है।

ध्यातव्य है कि ~~संविधान~~ मूल संविधान में बिल को सदन द्वारा पुनः राष्ट्रपति को प्रेषित करने बाबत् विशेष प्रावधान नहीं था परन्तु संविधान संशोधन द्वारा दोबारा भेजे गए बिल पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है।

स्पष्टतः राष्ट्रपति जो की संवैधानिक कार्यपालक प्रमुख होता है साथ ही संसद का एक अंग भी होता है, को विधेयकों पर चर्चा की संस्कृति बढ़ाने, पुनर्विचार करते तथा पुनः संशोधित करने हेतु राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. भारत में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में विभागीय स्थायी समितियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Discuss the role of the Departmentally Related Standing Committees in strengthening parliamentary democracy in India. (Answer in 200 words) 12.5

संसद में अत्यधिक कार्यो की जटिलता, समय अभाव तथा सांसदो का 'लेयमेन नेचर' विभागी स्थायी समितियों के सृजन को बलवती बनाता है। ये समितियाँ संसदीय लोकतंत्र को सुदृढता प्रदान करती है।

स्थायी समितियाँ → जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है तथा स्थायी प्रकृति की होती है।

जैसे- लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति (EC) सार्वजनिक उपक्रम समिति (PUCs) इत्यादि।

संसदीय लोकतंत्र की मजबूती में इन समितियो की भूमिका

(क) विपक्ष की भूमिका → कई संसदीय समितियो में विपक्ष के नेता अध्यक्ष होते है।

साथ ही इसमें अन्य विचारधाराओ से संबंधित सांसदगण होते है। • इससे यह समितियाँ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करती है

↓

लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण + चर्चा की संस्कृति में वृद्धि

9019066066

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) सार्वजनिक धन पर नियंत्रण → लोक लेखा समिति (15+7)

तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक वित्त तथा सौंपे गए वित्तीय विषयों की लेखा परीक्षा (अकाउंटीग) करती है। इसमे CAG इनकी सहायता भी करता है।
↓
जनता के धन का सुदुपयोग करने पर बल।

(ग) विभिन्न विचारधाराओं का समूह → समितियों में अधिकांशतः विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि होते है जो किसी विषय पर अपनी पार्टी के विचारों को परावर्तित करते है। → लोकतंत्र में वृद्धि।

(घ) नीति निर्माण में पारदर्शिता → स्थायी समितियो के समक्ष विभिन्न बिलो को भेजने से नीति- निर्माण में उदारता, पारदर्शिता तथा सहिष्णु विचारो का समावेशन होता है जो जनतांत्रिक संसद की अवधारणा को बढ़ाता है।

(ङ) सत्तारूढ़ दल की प्रचण्ड संख्या बल पर लगाम
↓
प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार अपने बिलो को 'गिलोटीन' प्रक्रिया से पास करवा लेती है—

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु यह तानाशाही लोकतंत्र को बढ़ाता है।

↓

बिल को स्थायी समितियों में भेजने से विस्तारपूर्वक गंभीर चर्चा हो जाती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि

विभागीय स्थायी समितियां जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न प्रारूपों का बहुआयामी अध्ययन कर तथा सभी दलों के विचारों को सुनकर लोकतंत्र को उन्नयित करता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं? दबाव समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

What do you understand by pressure groups? Citing examples, state the different types of techniques used by pressure groups. (Answer in 200 words) 12.5

दबाव समूह समान विचारधाराओं तथा हितो वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो अपने मांगो की पूर्ति करवाने हेतु नीतियो को अपने अनुसार/अनुरूप बनवाने की मांग करते है।
जैसे- FICCI, एसोचेम, NSUI, विहिप आदि।

दबाव समूहो द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन

(i) ओडिगार्ड के अनुसार, दबाव समूह मुख्यत: तीन तरीको से नीति निर्माताओ को प्रभावित करते है-

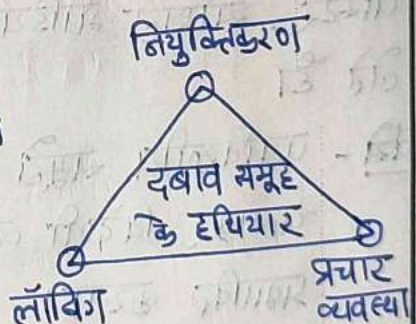

(क) **नियुक्तिकरण**
↳ विभिन्न शासकीय एवं प्रशासकिय पदो पर अपने हित समकक्ष व्यक्ति की नियुक्ति पर बल देते है।
जैसे- किसान समूह के आंदोलन में केन्द्रीय मंत्री 'हरसिमरत कौर' का इस्तीफा देना।

(ख) लॉबिंग → दबाब समूह गठजोड़ तथा साठगांठ का प्रयास कर नीतियो को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते है।

जैसे - अनौपचारिक संगठनो द्वारा प्रशासनिक गठजोड़ का प्रयास।

(ग) प्रचार व्यवस्था → अधिक जनाधार बढ़ाने के लिए तथा अपनी बातो को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रेस, मीडिया, पोस्टर, सोशल मीडिया इत्यादि का सहारा लेते है।

जैसे - पर्यावरणीय समूहो द्वारा 'ट्विटर आंदोलन' चलाकर विदेशी व्यक्तियो तक को प्रभावित करना।

(2) हिंसात्मक साधन
→ दबाव समूह कभी-कभार हिंसात्मक साधनो जैसे - हड़ताल, सार्वजनिक वस्तुओ की तोड़-फोड़, सड़क-ट्रेन रोकना, जलाना इत्यादि करते है।

जैसे - अग्निवीर योजना के समय अनौपचारिक

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दबाव समूहो द्वारा ट्रेन/बस इत्यादि जलाना।

(3) बजट निर्माण प्रक्रिया में → बजट निर्माण से पूर्व वित्त मंत्रालय विभिन्न हितधारको से चर्चा तथा प्रतिसंभरण (फीडबैक) लेता है।
जैसे: फिक्की, किसान समूहो इत्यादि से वार्ता करना।

(4) चुनाव इंजीनियरिंग → चुनाव पूर्व विभिन्न तरीको से दबाव समूह अपनी मांगो के अनुरूप मेनिफेस्टो (घोषणा पत्र) जारी करने की बात करते है।
जैसे: आरक्षण संबंधी मांग इत्यादि।

स्पष्टतः दबाव समूह विभिन्न साधनो का उपयोग कर नीति अपने पक्ष में बनाने का प्रयास करते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की संरचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस आयोग द्वारा प्रारंभ पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Enumerate the composition and functions of the National Commission for Women (NCW). Also, highlight the initiatives taken by the Commission to give an impetus to women empowerment. (Answer in 200 words) 12.5

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में महिलाओ के सशक्तिकरण, जीवन स्तर में सुधार तथा उनके विरुद्ध हो रही हिंसा एवं शोषण को समाप्त करने के लिए की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना

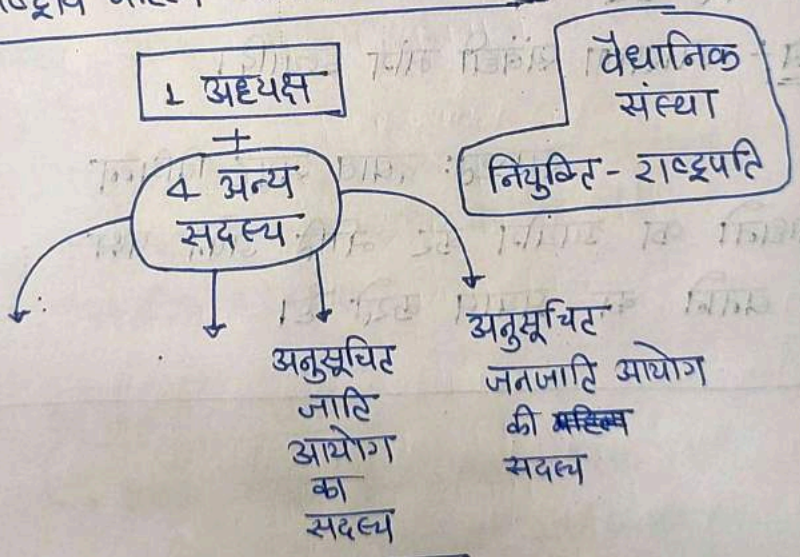

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

(1) महिलाओ का सर्वांगीण विकास, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) महिलाओ के विरुद्द हो रही हिंसा।शोषण का संज्ञान लेना → दोषी को सजा सुनाना।
जैसे - हालिया समय में राजस्थान की एक महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला स्पष्ट किया।

(3) महिलाओ की सुरक्षा के लिए विभिन्न पोर्टल, जैसे महिला साथी, सहेली इत्यादि की शुरुआत कर उनकी रक्षा करना।

(4) कार्यस्थल पर हो रही यौन हिंसा के विरुद्द कार्य करना। जैसे भारत में #Meetoo अंदोलन पर महिला आयोग की पैनी नज़र हो।

(5) महिलाओ की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करना।

(6) हर वर्ग की महिला जिनमे किशोरी, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्दा भी शामिल है, के गरिमामय जीवन का ध्यान रखना।

(7) विभिन्न मंत्रालयो, प्रशासनिक कार्यालयो तथा राज्य विभागो से संपर्क बनाकर महिलाओ के हितो की रक्षा करना। आदि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग द्वारा की गई पहले -

(क) पोटिलर्स की शुरुआत → मेरी सहेली, महिला मित्र इत्यादि की शुरुआत।

(ख) आपातकालीन नंबर → 24×7 उपस्थित
- 1098 बच्चियों के लिए
- 112 महिलाओं के लिए
- 'Dial 100 कैम्पेन'

(ग) सुरक्षा संबंधी कौशल → करटि ट्रेनिंग तथा कई स्वयं सेवी महिलाओं की तैनाती → सुरक्षा को बढ़ावा।

(घ) कानूनी लड़ाई → क्रिमिनल एक्ट 2013 में संशोधन
- 2018 > महिला सुरक्षा
- त्रिपल तलाक संबंधी बिल 2018

(ङ) वन स्टाप सेंटर, महिला बजट को प्रोत्साहन, महिलोन्मुखी योजनाओं जैसे संबल योजना, निशात शक्ति इत्यादि को बढ़ावा देना।

स्पष्टत: राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध वैधानिक संस्थान है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों के हस्तांतरण पर प्रकाश डालिए। क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर से कम रही है? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Highlight the devolution of powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. Do you think the process of devolution has been less than satisfactory so far? (Answer in 200 words) 12.5

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण तथा स्वशासन की स्थापना हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 को लाया गया। ये संशोधन 'तृणमूल सरकार' बनाने को प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय शक्ति का हस्तांतरण → विकेन्द्रीयकरण की वास्तविकता

विलेज डेमोक्रेसी के लेखक शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को असंतोषजनक मानकर इसे 'गुड थ्योरि बट बेड प्रेक्टिस' कहते है। क्योंकि -

(1) **अवांछनीय हस्तक्षेप**

→ नौकरशाही तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियो (MP, MLA) इत्यादि का पंचायतो पर अवांछनीय प्रभाव एवं हस्तक्षेप रहता है।

↓

शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग पंचायत प्रतिनिधि कर नहीं पाते → (शक्ति का विभेदीकरण)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) **वित्तीय अपंगता** → राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बावजूद करो (Tax) का एकत्रीकरण संतुष्टिजनक रूप से नहीं होता। साथ ही राज्य विधानमंडल भी अपर्याप्त अनुदान प्रदान करते हैं। अनुदान का बड़ा अंश 'बिचौलिया संस्कृति' से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

(3) **प्रकार्यात्मक कमी** → स्थानीय स्वशासन में कार्यरत 'फंक्शनरीज' अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से नहीं करते। नीतियाँ अच्छी बनी हुई है परन्तु क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ हैं।

(4) **समानान्तर संस्थाएं** → नगरीय निकायों में कई समानान्तर संस्थाएं कार्य करती है जिससे कार्यों का दोहराव एवं शक्ति का दुरुपयोग भी होता है।
जैसे- दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि।

(5) पुरुषवादी सोच → सरपंच पति, अध्यक्षपति
+
आरक्षण की 'चक्रीय पद्धति'
↳ समावेशी सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान नहीं करती।

Visit us : www.visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु यदि निष्पक्ष आलोचना की जाए तो हम पाएंगे की स्थानीय स्वशासन ने लोकतंत्र को एक विधिक शब्दावली की जगह लोगो की जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बना दिया है। इसके साथ ही -

(1) महिला आरक्षण → $\frac{1}{3}$ महिलाओ / ST-SC को अनिवार्य आरक्षण (अनु. 243 D & T)

पूरे भारत में >1.50 लाख महिलाएँ सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। महिलाओ की राजनीतिक भागीदारी में यह बड़ा कदम है।

(2) स्वशासन की स्थापना।

(3) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण का मूर्त रूप।

(4) बढ़ती जनभागीदारी तथा लोकतंत्र की लोकप्रियता इत्यादि।

तटस्थ होकर यदि स्थानीय स्वशासन के पिछले 3 दशको का अध्ययन करे तो हम पाते है कि कुछ चुनौतियो के अतिरिक्त यह सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा सफल होने की ओर अग्रसर है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. यद्यपि अर्ध-न्यायिक निकायों को न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं तथापि दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Although quasi-judicial bodies have powers resembling those of the judicial bodies, there are important points of distinction between the two. Elaborate. (Answer in 200 words) 12.5

अर्द्धन्यायिक निकाय से आशय

ऐसे निकाय जिनको कुछ मामलो (सामान्यतः सिविल) में न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। अर्थात् इन्हे दण्ड देने। शास्ति लगाने का अधिकार प्राप्त होता है।

जैसे- प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) इत्यादि।

अर्द्ध-न्यायिक निकाय को न्यायिक तंत्रो के समान शक्ति प्राप्त होती है परन्तु न्यायिक तंत्रो से भिन्न होते है-

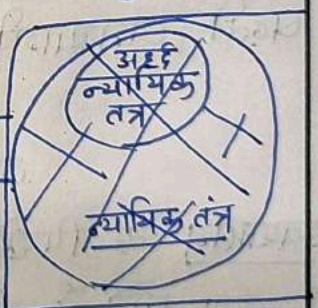

अर्द्ध-न्यायिक निकाय	न्यायिक तंत्र
(1) इनका निर्माण किसी विशेष कार्य के लिए होता है परन्तु यह अपराधियो को सजा का प्रावधान भी कर सकते है। जैसे- CAT	(1) इनका निर्माण विशेषतः न्याय प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। यह सिविल एवं फौजदारी दोनों मामलो में सजा सुना सकते है। जैसे- SC, High Court.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्द्ध-न्यायिक निकाय	न्यायिक निकाय
(2) सामान्यत: सिविल मामलो को ही सुनते है।	(2) सिविल, दाण्डिक तथा संवैधानिक मामलो को सुनते है।
(3) इनके विरुद्ध अपील HC, SC में की जा सकती है।	(3) SC अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है।
(4) कठोर दण्ड यथा मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं कर सकते है।	(4) मृत्युदण्ड/फांसी आदि का भी प्रावधान कर सकते है।
(5) अर्द्ध-न्यायिक निकाय ↓ दण्ड + प्रशासनिक मुद्दा।	(5) न्यायिक निकाय ↓ दण्ड + कानूनी मुद्दा
(6) मुख्यत: प्रशासकीय एवं प्रबंधन संबंधी कार्यो को देखते है। जैसे - Art. 323 (B) में वर्णित अधिकरण।	(6) मुख्यत: कानूनी एवं न्यायिक विषयो को देखते है।
(7) मुख्य कार्य → जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसे पूरा करने का प्रयास करना।	(7) मुख्य कार्य ↓ कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना तथा सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः अर्द्ध न्यायिक निकाय प्रशासन, प्रबंधन तथा दंड से जुड़े हैं वही न्यायिक निकाय मुख्यतः दाण्डिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

UPSC

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ भी लिखें)

13. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरर्हता के आधारों को वर्णित कीजिए। साथ ही, निरर्ह प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Delincate the grounds of disqualification under The Representation of the People Act, 1951. Also, discuss the remedial measures available to the disqualified representatives. (Answer in 200 words) 12.5

लोकप्रतिनिधि अधिनियम (RoPA) 1951 मतदान पश्चात् के प्रावधानों को निर्धारित करता है तथा जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान करता है।

RoPA, 1951 के तहत निरर्हता के आधार

(क) भ्रष्टाचार में संलिप्तता।

(ख) चुनाव के समय धांधली अथवा आवश्यकता से अधिक खर्च करने पर।

(ग) किसी अपराध में 2 साल से अधिक सजा काटने पर।

(घ) 60 दिन से अधिक लगातार संसदीय सदन में उपस्थित नहीं होने पर।

(ङ) आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन पर।

(च) चुनाव के समय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों तथा संविधान के संदर्भ में घृणित टिप्पणी करने पर इत्यादि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस हाशिए में कुछ ना लिखें)

RoPA 1951 निरर्ह व्यक्ति को रक्षोपाय (उपचारात्मक) साधन भी प्रदान करता है। ये साधन हैं –

(क) राष्ट्रपति के समक्ष याचना।

(ख) निर्वाचन आयोग संबंधी दिशानिर्देश।

(ग) न्यायालय के समक्ष मुद्दे को ले जाना इत्यादि

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. भारतीय संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

The basic structure doctrine of the Indian Constitution is a judicial innovation. Analyse. (Answer in 200 words) 12.5

केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ (1973) के मामले में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक न्यायिक नवाचार संबंधी मूल ढाँचे (Basic structure) का सिद्धांत दिया। यह संवैधानिक नैतिकता को जीवंतता प्रदान करता है।

....

मूल ढाचा/संरचना से आशय संविधान के प्रमुख मूल्य जिन ~~में~~ संविधान की आत्मा बसती है, को बनाए रखने पर बल दिया है।

जैसे - लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, अनु. 32 इत्यादि।

मूल संरचना का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार

→ अब तक की संविधान की सबसे बड़ी बेंच-13 जजो की बेंच-द्वारा दिया गया फैसला

↓

अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 संबंधी विभिन्न विवादो का समापन कर दिया

↓

विधायिका संविधान के किसी भी भाग को संशोधित

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कर सकती है, बशर्ते मूल ढाँचा बना रहे।

→ भारतीय संविधानिक तंत्र के अतिरिक्त अन्य संविधानो में मूल संरचना संबंधी प्रावधान विरले ही मिलते है।

→ मूल संरचना का निर्धारण समय-समय पर न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा > नवाचार

→ 1973 से पहले गोलकनाथ केस, बेरुबाड़ी केस, A.K. गोपालन केस इत्यादि में यह दिखाई नहीं देता है। → केशवानंद भारती केस में दिखा।

→ भारतीय न्यायपीठ द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयो मे सबसे श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च मौलिक निर्णय।

→ न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक पुनरावलोकन और अनुसूची-9 से संबंधित समस्त मसलो का निराकरण कर दिया।

→ कार्यपालिका अपने प्रचण्ड बहुमत के बल पर पुनः 1976 (42 वाँ संविधान संशोधन) जैसे संशोधन न करे → इस हेतु यह निर्णय अहम है।

→ संवैधानिक मूल्यो का समायोजन।

→ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत अनुसार।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निःसंदेह मूल संरचना संबंधी मामले को न्यायिक नवाचार की संज्ञा दी जा सकती है जो कॉंस्टिट्यूशनल मोरलटी की भावना के अनुरूप है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। साथ ही, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Highlight the various challenges in ensuring cooperative federalism in India. Also, suggest measures to foster cooperative federalism. (Answer in 200 words) 12.5

सहकारी संघवाद से आशय केन्द्र एवं राज्य विभिन्न नीतियों एवं क्रियाओं का निर्माण। कार्यान्वयन आपसी सामंजस्य तथा सहयोग से करे। यह केन्द्र-राज्य तथा राज्य-राज्य में समरसता बढ़ाता है।

संघवाद की वास्तविक धरातल पर हमें इसमें कई चुनौतियाँ भी दिखती है जो झगड़ालू संघवाद को बढ़ावा देती है। ये प्रमुख चुनौतियाँ —

(1) विधायी चुनौतियाँ
- (क) राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना। [अनु. 249, 250, 251]
- (ख) अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास [अनु. 248]
- (ग) समवर्ती सूची पर कानून बनाने की अधिक शक्ति संघ के पास [अनु. 246]
- (घ) विषयों का असमान वितरण → संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची (नीचे से ऊपर जाने पर विषय बढ़ते है)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) किसी राज्य विधानमण्डल के बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना।

(2) **प्रशासकीय संबंध चुनौतियाँ**

- राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
- किसी भू-भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल (352)
- राज्यपाल की नियुक्ति (अनु. 153)
- अखिल भारतीय सेवाओं की राज्यों में नियुक्ति।
- अर्द्ध केन्द्रीय बलों (CAPF), कैग (CAG), CBI, ED इत्यादि दलों को जांच के लिए भेजना।

(3) **वित्तीय चुनौतियाँ**

- कर संग्रहण अधिक → केन्द्र के पास।
- करों का उचित तथा समयानुरूप बँटवारा नहीं।
- वित्तीय आपातकाल > धन विधेयकों को रोकना।
- केन्द्र द्वारा राजनीतिक समरूपता वाले राज्यों को अधिक ऋण एवं अनुदान देना।
- प्रमुख करों को अपने पास रखना
- GST परिषद् में केन्द्र के वोट का भारांश $\frac{1}{3}$ तथा समस्त राज्यों का भारांश $\frac{2}{3}$ होना।
- विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की शक्ति केवल संघ सरकार के पास।

.... इस प्रकार की स्थितियाँ चुनौतियाँ उत्पन्न करती है अतः सहकारी संघवाद

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को बढ़ाने के लिए हमे निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए -

(1) विधायी प्रयास → अवशिष्ट विषय, समवर्ती सूची विषय तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से पूर्व राज्यो से पूछना चाहिए।

(2) प्रशासकीय उपाय
- → राज्यपाल ▷ भगवान सहाय समिति की सिफारिशे मानना चाहिए।
- → अखिल भारतीय सेवाएँ → अनु. 310/311 का सरलीकरण।
- → राष्ट्रपति शासन ▷ केवल अपवाद स्वरूप स्थिति में ही।

(3) राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना।

(4) वैधानिक उपकरण → क्षेत्रीय परिषदे, अंतर्राज्यीय परिषद, (262) नदी जल निपटान प्राधिकरण (263) इत्यादि।

(5) गैर-वैधानिक उपकरण → नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि

(6) औपचारिक उपकरण → मुख्यमंत्रियो, गृहमंत्रियो के सम्मेलन, प्रशासनिक अधिकारियो तथा सचिवो का सम्मेलन इत्यादि।

उपयुक्त बिन्दुओ पर दृष्टिपात करके सहकारी संघवाद को स्वस्थ सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. कई सारे देशों के संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं के बावजूद, भारत का संविधान अद्वितीय बना हुआ है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Despite having features borrowed from Constitutions of various other countries, the Constitution of India remains unique. Discuss. (Answer in 200 words) 12.5

डॉ. बी. आर अम्बेडकर ने संविधान के संदर्भ में कहा था कि "इसमें कई देशो के संविधानो के नैतिक तत्वो को भारतीय स्थिति अनुरूप स्वीकार कर लिया गया है।"

आलोचक भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' भी कहते है परन्तु फिर भी भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में अद्वितीय है।

भारतीय संविधान के स्त्रोत

(क) अमेरिका → न्यायालय की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता।

(ख) ब्रिटेन → एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ~~विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया~~, कानून का शासन,

(ग) जर्मनी → आपातकालीन प्रावधान।

(घ) फ्रांस → समानता, स्वतंत्रता, बंधुता।

(ङ) रूस → मौलिक कर्त्तव्य।

(च) आयरलैण्ड → DPSP, राज्यसभा में मनोनयन

(छ) दक्षिण अफ्रीका → संविधान संशोधन।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके अतिरिक्त 1935 ई. के भारत शासन अधि. से भी हमने कई तत्वों को स्वीकारा है।

इसके बावजूद हमारे संविधान की अद्वितीयता

(1) कठोर और नम्य → संविधान संशोधन न अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता
↓
जैसे - नागरिकता संबंधी विषय पर साधारण बिल
मूल अधिकार के लिए कठोर ~~काम~~ प्रक्रिया।

(2) संघात्मक व्यवस्था → भारतीय संघवाद राज्यों का एक संघ के रूप में केन्द्र की तरफ झुका हुआ है।

(3) गणतंत्रात्मक → ब्रिटेन की तरह राजशाही नहीं है अपितु अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष का पद दिया गया है।

(4) स्थानीय स्वशासन → भारतीय संविधान अनु. 40 तथा 73/74 वे संविधान संशोधन तृणमूल सरकार का प्रावधान करते है।

(5) न्यायपालिका का कॉलेजियम प्रणाली
↳ भारतीय संविधान की यह मौलिक व्यवस्था है जो अन्यत्र विश्व में दुर्लभ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) नागरिको को प्रदान किए मौलिक अधिकार
↳ 6 प्रमुख मौलिक अधिकार
↳ निजता का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, इण्टरनेट का अधिकार इत्यादि प्रदान किया।

(7) संसदीय शासन प्रणाली में जीरो ऑवर (zero Hours) भारतीयो की उपज है।

(8) संसदीय सम्प्रभुता की जगह संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया तथा शक्ति का केन्द्र जनता को रखा।

(9) पंथनिरपेक्षता → सकारात्मक मॉडल अपनाया।
↳ राज्य का कोई धर्म नही होगा तथा वह सभी धर्मो का सम्मान करेगा। (अनु 25 से 28) इत्यादि।

~~निष्कर्ष~~। अस्तु कह सकते है कि भारतीय संविधान सभा एवं प्रारुप समिति ने प्रगतिशील होकर विभिन्न संविधानो का विश्लेषण कर भारतीयो की आकांक्षाओ के अनुरूप जीवंत, प्रगतिशील, सतत विकास का मार्गदर्शी संविधान को बनाया है, जो अपनी प्रकृति में अद्वितीय हो।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. क्या भारत सरकार में अधिसंख्य मंत्रालयों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है? प्रासंगिक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Is there a need to rationalize the large number of ministries in the Government of India? Discuss with logical arguments. (Answer in 200 words) 12.5

भारत सरकार अपने कार्यों का सुचारू संचालन हेतु विभिन्न मंत्रालयों का गठन कर जनकल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देते हैं। जैसे - हालिया समय में 'जल शक्ति मंत्रालय' तथा 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया।

वर्तमान परिदृश्य में उपजे नवीन विषयों जैसे डिजीटलीकरण, वैश्वीकरण 2.0, महामारी, पर्यावरणीय मुद्दों आदि को देखते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों को अधिक युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

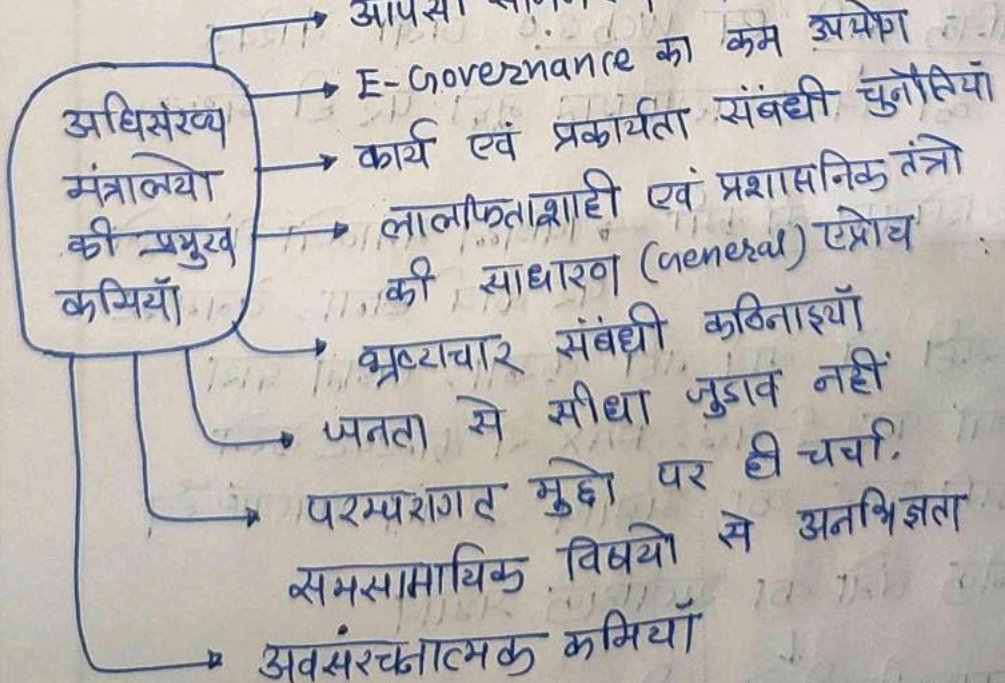

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1) कोऑर्डिनेशन (सामंजस्य) का अभाव

- विभिन्न मंत्रालयों के मध्य आपसी सामंजस्य नहीं
- किसी पक्ष के समस्त आयामों का अध्ययन अप्रभावी
- मंत्रालयों के मध्य वैचारिक भिन्नता।

जैसे – उद्योग एवं परिवहन मंत्रालय किसी जंगल को काटने का निर्देश देता है परन्तु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय / जनजातीय मंत्रालय इसे रोक देता है।

(2) नवीन मुद्दों से अनभिज्ञ → बढ़ती आतंकवादी घटनाएं, वैश्विक अराजकता, पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी मुद्दे, जल तनाव, अंतरिक्ष एवं समुद्र प्रौद्योगिकी, ब्लाकचेन, NFT जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति एवं Web 3.0 जैसी वैश्विक मुद्दों की जगह परम्परागत मुद्दों पर ही मंथन।

(3) डिजिटलाइजेशन की कमी → विभिन्न मंत्रालयों में फाइलों पर कार्य होना, वेबसाइट का सही से कार्य नहीं करना, जनता द्वारा मंत्रालयों पर ई-मेल, FAX से कान्टेक्ट करने पर प्रतिउत्तर का अभाव इत्यादि समस्याएँ हैं।

(4) प्रशासनिक तंत्रों का अत्यधिक प्रभाव ↓ जनभागीदारी से दूरी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मंत्रालयो को प्रभावी बनाने के तरीके

- डिजिटलीकरण
- लेटरल प्रवेश ↑
- e-Governance
- प्रमुख मंत्रालयी पदो पर वरिष्ठो एवं अनुभवी लोगो की नियुक्ति
- आपसी सामंजस्य ↑
- अवसंरचनात्मक सुधार
  - ↓ क्षेत्रीय कार्यालयो की संख्या में वृद्धि

हालिया समय में भारत सरकार ने गति-शक्ति मिशन, वैश्विक एवं गंभीर मुद्दो पर नवीन मंत्रालय जैसे जल शक्ति मंत्रालय तथा डिजिलीकरण को बढ़ावा देकर जन हितैषी शासन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. यू.पी.एस.सी. की भूमिका का विवरण दीजिए। साथ ही, यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूचीबद्ध कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

Provide an account of the role of UPSC. Also, enumerate the Constitutional provisions to safeguard and ensure the independence and impartial functioning of the UPSC. (Answer in 200 words) 12.5

भारतीय संविधान अनु. 315 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) का प्रावधान करता है। 'मेरिट पद्धति का प्रहरी' यह आयोग एक 'संवैधानिक संस्था' है जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करती है।

यू.पी.एस.सी. (UPSC) की भूमिका

- विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से प्रमुख अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति।

  जैसे- UPSC- सिविल सेवा परीक्षा, UPSC-CAPF
  UPSC- AIMS इत्यादि।

- भर्ती संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना जो इन रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं।
- सामाजिक न्याय → DoPT भारत सरकार की सहायता से।
- विभिन्न अधिकारियों के संबंध में कोई जानकारी प्रदान करना आदि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यूपीएससी देश की सर्वोच्च सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करती है अतः इसका निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना आवश्यक है। अतः इसके कामकाज की सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए है, जो निम्नवत है -

(1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल के समय इनके वेतन में नकारात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। (अनु. 315)

(2) UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन अनुसूची-2 के तहत संघ की संचित निधि (266) पर भारित होगा।

(3) अध्यक्ष दोबारा नियुक्त नही किया जा सकेगा। सदस्यों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

(4) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, PM की सलाह पर करेंगे परन्तु बर्खास्तकी सुप्रीम कोर्ट मे जांच के पश्चात ही की जा सकती है।

8468022022, 9019066066

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) यूपीएसी (UPSC) प्रत्यक्षतः किसी मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह आयोग कार्मिक मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करता है तथा राष्ट्रपति एवं भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेह है।

इसी प्रकार के प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग को भी प्रदान किए गए है। स्पष्टतः इन तरीको से यह आयोग निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करता रहेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. अधिकरण क्या हैं? अनुच्छेद 323A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B से किस प्रकार भिन्न है? (उत्तर 200 शब्दों में दें)

What are tribunals? How is Article 323A different from Article 323B of the Indian Constitution? (Answer in 200 words) 12.5

अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान भाग 14क तथा अनुच्छेद 323 (क) एवं 323(ख) में किया गया है। जैसे- NGT, CAT इत्यादि।

भाग 14'क'

- अनु. 323(A) → प्रशासनिक अधिकरण।
- अनु. 323 (B) → प्रशासनिक अधिकरण के अलावा अन्य मामलो से संबंधित अधिकरण।

अनु. 323(A) तथा 323(B) में अंतर

Art. 323(A) → प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान (CAT)
↓
सार्वजनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी प्रशासनिक समस्याओं के विरुद्ध शिकायत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करने का एक संवैधानिक उपकरण है।

→ इसके विरुद्ध HC → SC मे अपील भी की जा सकती है।

जैसे- हालिया समय में, पश्चिम बंगाल के सचिव ने अपनी शिकायत को CAT मे दर्ज किया था।

अनुच्छेद 323 B

↳ अन्य विषयो से संबंधित अधिकरणो का वर्णन किया गया है।

इसमे शामिल है → पर्यावरण संबंधी विषय
→ औद्योगिक उद्यम संबंधी अधिकरण इत्यादि।

स्पष्टतः अधिकरण महत्वपूर्ण अर्द्ध न्यायिक निकाय होते है जो न्यायपालिका के कार्यो का बोझ कम कर 'न्याय तक सबकी पहुँच' के सिद्धांत को बढावा देते है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर अधिरोपित किया जा सकता है? साथ ही, इसके अधिरोपण की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)

On what grounds can President's Rule be imposed in a state? Also, mention the procedure of its imposition and its effects. (Answer in 200 words) 12.5

भारतीय संविधान अनु. 356

राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। यह किसी राज्य में अनु. 355 का उल्लंघन होने पर राज्यपाल की सहमति से, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है।

राष्ट्रपति शासन के आधार

(1) राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं चल रही हो।

(2) अनुच्छेद 355 की स्थिति में जब राज्य, केन्द्र सरकार की किसी विधि को नहीं मान रहा है।

(3) स्पष्ट बहुमत का आभाव अथवा राज्यपाल यह अधिसूचित कर दे कि किसी भी दल के पास पर्याप्त जनाधार नहीं है तथा दोबारा चुनाव नहीं कराया जा सकता

↓

अर्थात् विधायी निवृत्ति की स्थिति में

राष्ट्रपति शासन अधिरोपण की प्रक्रिया

(1) संविधानिक तंत्र की विफलता (राज्य में) → राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देना → राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद तथा अनुभवी व्यक्तियों की राय से ↓ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। → राज्य की समस्त विधायी कार्यपालक, प्रशासनिक शक्तियाँ → राष्ट्रपति में

राष्ट्रपति शासन के प्रमुख प्रभाव

(क) शक्तियों का संकेन्द्रण → राष्ट्रपति में

- विधायी शक्ति
- कार्यपालक शक्ति
- प्रशासकीय शक्ति
- वित्तीय शक्ति

→ president

(ख) विभिन्न बिलो को रोक देता है।

- → राज्य के लिए धन विधेयक इत्यादि रोक देता है।
- → केन्द्रीय बजट में राज्य के बजट संबंधी प्रावधान किए जाते है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) अधिकतम 6 माह तक राज्य की समस्त बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में होती है।

(घ) विधायी निर्वात की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग की राय अनुसार राज्य में चुनाव कराए जाते है।

(ङ) संबंधित राज्य की मंत्रीपरिषद् निष्प्रभावी हो जाती है।

(च) राज्यों के लिए अध्यादेश का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन सहकारी संघवाद की छवि को धूमिल करता है अतः इसका प्रयोग अपवाद स्वरूप स्थिति में राजनीतिक मंशा से निरपेक्ष होकर राष्ट्रहित में ही करना चाहिए।